संख्या-403 / VI / 2014-04(06) / 2014

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

Rec 14-18

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद,
देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 3/ मार्च, 2014

विषयः–उत्तराखण्ड ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना (पर्यटन ग्राम क्लस्टर योजना) के सम्बन्ध में।

महोदय,

विविध प्रकार की पर्यटन गतिविधियॉं जो कि ग्रामीण क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को ग्रामीण परिवेश में परिलक्षित करने तथा ग्रामों में बसने वाले समुदायों की वित्तीय, सामाजिक तथा आर्थिक अवधारणा को जागृत कर पर्यटकों एवं ग्रामीणों के मध्य आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुये ग्रामों में रोजगार सृजन के लिये ग्रामीण पर्यटन विकास की अवधारणा तथा उत्तराखण्ड में देशी एवं विदेशी पर्यटकों को अधिक से अधिक संख्या में आकर्षित करने के उद्देश्य से पर्यटन ग्रामों के विकास किये जाने हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल "उत्तराखण्ड ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना" प्रारम्भ करने की निम्नलिखित विवरणानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. इस योजनान्तर्गत ऐसे ग्राम जो पर्यटन की दृष्टि से विशेष आकर्षण रखते हैं, को पर्यटन ग्राम क्लस्टर के रूप में विकसित किया जायेगा। योजना के निम्नलिखित मुख्य घटक होंगे :–

   (i) योजना पूर्णरूपेण ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी ।

   (ii) इसके अन्तर्गत निम्न तीन श्रेणियों में लाभ प्रदान किया जायेगाः–

      (अ) पर्यटक ग्रामों का समूह
      (न्यूनतम 3 ग्राम, अधिकतम 10 ग्राम, केवल वहीं समूह जो चयन समिति द्वारा पर्यटन ग्राम घोषित किये जायेंगे)।

      (ब) एकल ग्राम (चयन समिति द्वारा घोषित पर्यटन ग्राम)

      (स) व्यक्तिगत
      (केवल उपरोक्त घोषित पर्यटन ग्राम अथवा पर्यटन ग्राम समूह में निवासरत व्यक्ति)

2. ग्रामीण पर्यटन योजना के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ एवं पर्यटन विकास कार्य :–

(अ) व्यक्तिगत :–

(i) इस योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थी को सामान्य वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन विकास योजना के अन्तर्गत सभी लाभ अनुमन्य होंगे तथा उसके अतिरिक्त बैंक ऋण पर प्रथम दो वर्ष की अवधि में उसे केवल चार प्रतिशत की दर से ब्याज चुकाना होगा। अवशेष ब्याज की धनराशि पर्यटन विभाग द्वारा वहन की जायेगी तथा बैंक को सीधे चुका दी जायेगी।

(ii) इस योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थी द्वारा निजी भवनों पर पर्यटकों की सुविधार्थ कम से कम दो अतिरिक्त दो शैय्यायुक्त आवासीय कक्ष निर्मित किया जाना आवश्यक है जिनमें प्रत्येक कक्ष न्यूनतम 100 वर्ग फिट , शौचालय, स्नानागार, समुचित प्रकाश व्यवस्था व पानी की उचित सुविधा हो। अतिवास करने वाले पर्यटकों हेतु उचित खान–पान व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी।

(iii) पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप निर्माण कार्य करना होगा।

(iv) इस योजना अन्तर्गत निर्मित पर्यटन सम्पत्ति के स्वामी को पर्यटन विकास परिषद द्वारा मानक प्रमाण पत्र (Standard Compliance Certification) प्राप्त करना होगा।

(v) परिसम्पत्ति का व्यवसायिक संचालन पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित मानकों तथा प्रक्रिया व मार्ग–दर्शक नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(vi) योजना पूर्णतः अव्यावसायिक मानी जायेगी ।

(vii) सुख साधन कर, मनोरजंन कर तथा पके खाने पर अधिरोपित होने वाले करों में छूट।

(viii) निर्मित इकाई को विभागीय बेवसाइट द्वारा प्रचारित किया जायेगा ।

(ix) योजना का उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली, 2014 के अन्तर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

ब– एकल ग्राम एवं ग्रामों का समूह– चयनित पर्यटन ग्राम/ग्राम समूहों में निम्नलिखित सामूहिक परिसम्पत्तियां (Comiunity Assists and Common Infrastructure) हार्ड वेयर (पर्यटन अवस्थापना सुविधा कार्य) तथा साफ्टवेयर (प्रशिक्षण व्यवस्था) कार्य अनुमन्य होंगे :–

(i) हार्ड वेयर (पर्यटन अवस्थापना सुविधा कार्य)

(1) उद्यानों का विकास, तारबाड एवं कम्पाउण्ड वाल, लैण्ड स्केपिंग

(2) ग्राम पंचायत की सीमान्तर्गत सडकों का सुधार/मार्गीय सुविधायें

(3) ग्राम में प्रकाश व्यवस्था/सौर उर्जा

(4) सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट तथा सीवरेज मैनेजमेंट हेतु सुधार कार्य
(5) साहसिक खेल तथा जल कीडाओं का आयोजन एवं इससे सम्बन्धित उपकरणों का क्रय
(6) स्मारकों का रख–रखाव
(7) साइनेज की स्थापना
(8) स्वागत केन्द्र
(9) जेन सुविधायें, पेयजल सुविधायें, रैन शेल्टर, व्यू पाइन्ट, स्नान घाटों का निर्माण, खुला रंगमंच, आवासीय सुविधाओं का विकास
(10) स्थानीय ट्रैक रूट/नेचर ट्रेल का विकास
(11) पर्यटकों के आवास हेतु निजी क्षेत्र में होम स्टे योजना का विकास (ग्रामीण पर्यटन के अन्तर्गत बेराजगार नवयुवकों को वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में उनके द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु वरीयता प्रदान कर लाभान्वित किया जायेगा।)

(ii) **साफ्टवेयर (प्रशिक्षण व्यवस्था)**
(1) फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी
(2) जागरूकता प्रशिक्षण
(3) होटल उद्योग एवं गाईड
(4) कौशल विकास
(5) अंग्रेजी भाषा का प्रारम्भिक प्रशिक्षण
(6) महिला स्वयं सहायता समूह
(7) प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण संरक्षण
(8) स्वास्थ्य एवं हाईजेनिक
(9) आतिथ्य सत्कार

3. **चयन प्रकिया**– योजना हेतु व्यक्तिगत, एकल ग्राम एवं ग्रामों के समूह का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत गठित समिति द्वारा किया जायेगा :–

(i)	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(ii)	अधिशासी अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
(iii)	जिलाधिकारी द्वारा नामित दो सदस्य	सदस्य
(iv)	जिला पर्यटन विकास अधिकारी	सदस्य/सचिव

4. **वित्तीय स्वीकृति/सहयोग** :–
(i) एकल ग्राम हेतु अधिकतम ₹ 50.00 लाख (हार्डवेयर) एवं ₹ 10.00 लाख (सोफ्टवेयर) अनुमन्य होंगे।
(ii) ग्रामों के समुह (क्लस्टर) हेतु अधिकतम ₹ 200 लाख (हार्डवेयर) एवं ₹ 25 लाख (साफ्टवेयर) हेतु अनुमन्य होंगे।

...4

5. **योजना का प्रबन्धन एवं कियान्वयन** :– एकल ग्राम एवं ग्रामों के समूह हेतु योजना के प्रबन्धन एवं कियान्वयन हेतु जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सोसाइटी का गठन किया जायेगा जिसमें जिला पंचायत राज अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित सहायक पंचायत राज अधिकारी, ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र विकास समिति का एक–एक सदस्य तथा सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में होंगे। योजना प्रबन्धन एवं कियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश पर्यटन विकास परिषद द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।

6. इस योजना के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्तर–2(अ) के अन्तर्गत अनुमन्य लाभार्थियों हेतु राज सहायता/अनुदान तथा ब्याज अनुदान पर होने वाला व्यय वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन, स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अनुमन्य होगा तथा प्रस्तर–2(ब) के कार्यो के लिए पृथक से बजट प्राविधान कराया जायेगा। जिसके लिए उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा आवश्यकतानुसार औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

संख्या– /VI/2014–04(06)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भारतीय स्टेट बैंक, आंचलिक कार्यालय, न्यू कैन्ट रोड, देहरादून।
6. निदेशक, आपदा प्रबन्धन विभाग, देहरादून।
7. समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी/क्षेत्रीय पर्यटन विकास अधिकारी।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सचिन कुर्वे)
अपर सचिव।